रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1993/श्रावण 15, 1915

No. 472] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1993/SRAVANA 15, 1915

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1993

का.आ. 597(अ):—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

आंध्र प्रदेश की विधान सभा के लिए नवम्बर, 1989 में हुए साधारण निर्वाचन में आंध्र प्रदेश राज्य के 1—इचापुरम सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री एम.वी. कृष्णा राव (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) का निर्वाचन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3-9-1991 को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किया गया था;

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा एक अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी और उक्त न्यायालय ने 22-10-1991 को उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन रोक दिया था;

और उच्चतम न्यायालय ने तत्पश्चात् 17-3-1993 को अपील खारिज कर दी और तारीख 22-10-1991 के अपने रोक आदेश को भी रद्द कर दिया;

और उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार निर्वाचित अभ्यर्थी का मामला सचिव, आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा 16-4-1993 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में, इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित कर दिया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध देखिए) दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को उपर्युक्त भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए छह वर्ष की कालावधि के लिए जिसकी गणना 17-3-1993 से अर्थात् उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी, निरर्हित किया जाना चाहिए;

अतः अब मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 17-3-1993 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली

दिनांक 5 अगस्त, 1993 शंकर दयाल शर्मा

भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1993 का निर्देश मामला सं. 1 (लो.प्र.अ.)

(भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन निर्देश)

श्री एम.वी. कृष्णा राव, आंध्र प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य की निरर्हता के मामले में

राय

1. यह भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे "1951 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन एक निर्देश है जिसमें निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री एम.वी. कृष्णा राव को उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन संसद के किसी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए।

2. मामले के सुसंगत तथ्य, संक्षेप रूप में इस प्रकार हैं :—

(i) श्री एम.वी. कृष्णा राव, नवम्बर, 1989 में हुए साधारण निर्वाचन में 1-इचापुरम सभा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे।

(ii) उनके निर्वाचन को, उनके विरोधी अभ्यर्थी श्री बुड्डाला त्रिनाथ रेड्डी ने हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 1990 की निर्वाचन याचिका सं. 19 द्वारा चुनौती दी गई। निर्वाचन याचिका में यह अभिकथन किया गया कि श्री कृष्णा राव ने 1951 के अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए हैं।

(iii) तारीख 3-9-1991 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्री कृष्णा राव को, 1951 के अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। उच्च न्यायालय के सुसंगत संप्रेषण और निष्कर्ष नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

"विवाद्यक सं. 2

* * * * *

इस मामले में जिस प्रकार श्री एन.टी. रामा राव को पोस्टर में भगवद् गीता के संस्कृत श्लोक के साथ शंखनाद करते हुए श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पोस्टर धार्मिक प्रतीक है और उसका आशय धर्म के आधार पर इचापुरम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना है, जिनमें से 90 प्रतिशत हिन्दू हैं। इस पोस्टर के विपरीत एक अन्य पोस्टर है जिसे फोटो प्र.ए.-26 में देखा जा सकता है जिसमें श्री एन.टी. रामा राव को सामान्य वेश-भूषा में मतदाताओं से अपील करते दिखाया गया है। यह आक्षेपणीय नहीं है और यह किसी धार्मिक प्रतीक की कोटि में नहीं है। किन्तु पोस्टर जिनके फोटो प्र. ए-1 से ए-27 तक लिए गए हैं, बिल्कुल भिन्न हैं और ये स्पष्टतः हिन्दू मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को अपील करने को आशयित हैं क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के नेता श्री एन.टी. रामा राव को सामान्य वेश-भूषा में नहीं दिखाया गया है बल्कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में शंखनाद् करते हुए चित्रित किया गया है साथ ही भगवद् गीता का श्लोक भी उद्धृत किया गया है जो मतदाताओं के मन में यह धारणा सृजित करने का प्रयास करता है कि वह भगवान के अवतार हैं जो तेलुगु देशम के अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करके भ्रष्ट कांग्रेस को हटाने का उपदेश कर रहे हैं।

* * * * *

फोटो प्र. ए-24 और ए-25 से यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि प्रत्यर्थी तारीख 12-11-1989 को आयोजित सभा में मंच पर श्री एन.टी. रामा राव तथा अन्य के साथ पाया गया। फोटो यह दर्शित करते हैं कि प्रश्नगत दो पोस्टर जिसमें श्री रामा राव को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है, मंच के साथ लगाए गए थे। यह भी सिद्ध हो गया कि प्रत्यर्थी ने ही उक्त मंच के निर्माण की व्यवस्था की। इन फोटो से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने धार्मिक प्रतीक के आधार पर मतदाताओं से अपील की क्योंकि उस मंच जिस पर उन्होंने श्री रामा राव और अन्य के साथ जन सभा में भाग लिया ऐसे दो पोस्टर थे जिसको मैंने पहले ही धार्मिक प्रतीक अभिनिर्धारित किया है। अतः इसी साक्ष्य पर यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन परिकल्पित भ्रष्ट आचरण किया।

* * * * *

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है या.सा. 2 और या.सा. 6 के साक्ष्य का आशय यह है कि प्रत्यर्थी ने सभा को यह कहते

हुए संबोधित किया कि श्री एन.टी. रामाराव भगवान कृष्ण के अवतार हैं जो इस युग में जनता की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं । अतः सभी हिंदुओं को तेलुगु देशम पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए । या.सा. 2 और या.सा. 6 या अन्य साक्षियों ने अपने साक्ष्य में ठीक-ठीक वही बातें पुनः प्रस्तुत न की हो जो प्रत्यर्थी ने सभा में कही थी और उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा उसका सार यह है कि प्रत्यर्थी ने कहा कि श्री एन.टी. रामाराव, भगवान कृष्ण के अवतार हैं और वह भी उन पोस्टरों के अनुरूप है जो उस मंच के साथ लगाए गए थे जिसमें श्री एन.टी. रामाराव को भगवद्गीता के श्लोक के साथ शंखनाद् करते हुए श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। अतः मैं याची के विद्वान काउंसेल के प्रतिविरोध से सहमत हूं कि प्रत्यर्थी ने, धार्मिक आधार पर भी मतदाताओं से अपील की थी ।

अतः यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्यर्थी ने मतदाताओं से धर्म और धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करके अपील की जो अधिनियम की धारा 123(3) में यथापरिभाषित भ्रष्ट आचरण है । अतः मैं विवाद्यक सं. 2 को याची के पक्ष में पाता हूं ।

विवाद्यक सं. 4

विवाद्यक सं. 2 पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी ने मतदाताओं से धर्म के आधार पर अपील की और धार्मिक प्रतीक का भी प्रयोग किया और इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन यथा-उपबंधित भ्रष्ट आचरण किया, याचिका मंजूर की जाती है और 1—इचापुरम सभा निर्वाचन-क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए प्रत्यर्थी का निर्वाचन शून्य और अपास्त घोषित किया जाता है ।

(4) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 1991 की सिविल अपील सं. 3718 में दिए गए तारीख 3-9-1991 के उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध श्री कृष्णा राव द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 22-10-1991 के एक अंतरिम आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के प्रवर्तन पर सुनवाई लंबित रहने और अपील के अंतिम रूप से निपटारे तक रोक लगा दी ।

(5) उच्चतम न्यायालय ने 17-3-1993 को श्री कृष्णाराव की अपील खारिज कर दी और तारीख 22-10-1991 के अपने रोक आदेश को भी रद्द कर दिया। उक्त अपील को खारिज करते समय उच्चतम न्यायालय ने श्री कृष्णाराव द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन किए गए भ्रष्ट आचरण के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि कर दी ।

उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया :—

"————इसके अतिरिक्त कि इस तथ्य के बारे में साक्ष्य है कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामा राव को भगवान कृष्ण के वेश में शंखनाद् करते हुए श्रीमद् भगवद् गीता से इस प्रभाव के श्लोक के साथ कि धर्म की पुर्नस्थापना के लिए भगवान कृष्ण "युग-युग" में अवतार लेते रहेंगे, दर्शित करने वाले पोस्टर तैयार और वितरित किए गए थे । पोस्टर ने नीचे तेलुगु भाषा में एक उपशीर्षक भी है जो धोखेबाज कांग्रेस को, जिसने वेश को बेच दिया है, हराने के लिए लोगों को प्रबोधित करता है । तेलुगु देशम पार्टी के ये पोस्टर प्रदर्श ए—24 में भी उपलब्ध है यद्यपि विवर्धित पोस्टरों में जो तेलुगु लेख हमें मिले हैं वे गोचर नहीं हैं। इस पर महत्व देना आवश्यक है कि पार्टी के नेता के ये पोस्टर जो भगवान कृष्ण के वेश में हैं, एक निश्चित संदेश देने के लिए आशयित हैं । यदि मत प्राप्त करने के लिए धर्म के प्रयोग का आशय नहीं था तो, यह समझना कठिन है कि किसी निर्वाचन सभा में किसी राजनैतिक पार्टी का नेता भगवान कृष्ण के वेश में शंखनाद् करता हुआ क्यों प्रदर्शित किया जाए । इन पोस्टरों का या.सा. 2, 4 और 6 के माध्यम से दिए गए साक्ष्य को विश्वास प्रदान करता है । अतः इस तथ्य के अतिरिक्त कि या.सा. 6 एक स्वतंत्र साक्षी है, जिसके बारे में ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह किसी के पक्ष में हो, उक्त पोस्टरों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश के आशय से उसके साक्ष्य की पुष्टि होती है । इन तीन साक्षियों के परिसाक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त संदेश क्या है । विद्वान विचारण न्यायाधीश ने, जिन्हें इन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने और उनकी भाव-भंगिमा के अवलोकन का लाभ मिला था, कथित कारणों से, उनका साक्ष्य स्वीकार कर लिया था और विद्वान न्यायाधीश द्वारा उनके साक्ष्य को महत्व प्रदान किए जाने पर किसी प्रकार की कमजोरी का भान नहीं हो रहा है। उनका स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी ने जन-समूह को, जिसमें अधिकतर हिन्दू थे, संशोधित करते हुए कहा था कि वे सभी हिन्दू थे और भगवान कृष्ण के, जो रामाराव रूप में अवतरित हुए हैं, उपासक हैं और तेलुगु देशम पार्टी को दिए गए मत से समृद्धि आएगी । अतः यह अपील हिन्दुओं की धार्मिक भावना के प्रति की गई थी । इसे उन पोस्टरों ने भी प्रदान किया जिनमें पार्टी के नेता को भगवान कृष्ण के एक अवतार के रूप में दिखाया गया था ऐसे पोस्टरों का स्पष्ट रूप से प्रयोजन जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मतों का लाभ प्राप्त करने का था । किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता उक्त दिखावे में अन्यथा कार्यों सम्मिलित होगा क्योंकि वस्तुतः यह उसकी कोई फिल्म तो नहीं थी । जनता की धार्मिक भावनाओं के प्रति यदि उक्त प्रदान की अपीलों को अनुज्ञात किया गया तो इससे निर्वाचनों की पवित्रता नष्ट हो जाएगा————— । अतः, हमारा यह मत है कि प्रत्यर्थी—अर्जीदार द्वारा लगाया गया आरोप कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी ने धर्म के नाम पर मतदाताओं को उसे वोट देने के लिए प्रेरित करते हुए सभा

में संबोधित किया, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से मंजूर किया गया है । हमारे लिए यह विश्वास कर लेना भी कठिन है, जैसा कि विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कि यह दर्शित करने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने सभा को संबोधित किया और दल के नेता को भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। यह बिल्कुल अप्राकृतिक प्रतीत होगा कि प्रत्यर्थी अपने लिए मत प्राप्त करने के लिए प्रचार करने के लिए बुलाई गई सभा को संबोधित न करे और दल के नेता को जोशिले ढंग से प्रस्तुत न करे।

मामले को हर तरफ से देखने पर हम यह पाते है कि विवाद्यक सं. 2 पर विद्वान विचारण न्यायाधीश का विनिश्चय सही है और अपील में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। अपील खर्चे सहित खारिज की जाती है । अन्तरिम आदेश रद्द किया जाता है । "

(6) तारीख 16-4-1993 को आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सचिव ने श्री कृष्णा राव के मामले को धारा 8क की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार यह निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया कि क्या श्री कृष्णा राव को निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए ।

(7) उक्त धारा 8क के उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रपति ने यह निर्देश निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए तारीख 27-4-1993 को भेजा है ।

3.1 राष्ट्रपति को अपनी राय देने से पूर्व, आयोग ने श्री कृष्णा राव को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का विनिश्चय किया और इस प्रयोजन के लिए तारीख 17-6-1993 को सुनवाई नियत की गई । श्री कृष्णा राव को उक्त सुनवाई के बारे में रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक के साथ साधारण डाक द्वारा ता. 19-5 1993 को सूचित किया गया।

3.2 श्री कृष्णा राव ने तो आयोग के समक्ष तारीख 17-6-1993 को उपसंजात हुए और न उनसे कुछ सुना गया । अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के लिए आयोग ने उनको तारीख 16-7-1993 को एक और अवसर देने का विनिश्चय किया ।

4.1 तारीख 16-7-1993 को आयोग ने श्री कृष्णा राव को सम्यक रूप से सुना । इससे पहले उन्होंने तारीख 12-7-1993 को अपने अधिवक्ता श्री बाबा बद्रीनाथ बाबू के माध्यम से लिखित कथन भी फाइल किया।

4.2 तारीख 16-7-1993 को की गई सुनवाई में श्री कृष्णा राव ने अपना निवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया था । श्री कृष्णा राव के विद्वान काउंसेल सुनवाई में विलंब से पहुंचे थे और जब आयोग ने श्री कृष्णा राव से पूछा कि क्या वह आगे की कार्यवाही अपने विद्वान काउंसेल के माध्यम से कराना चाहेंगे तो उन्होंने अपना निवेदन स्वयं ही प्रस्तुत करने के लिए इच्छा प्रकट की ।

5. श्री कृष्णा राव ने अपने मौखिक निवेदन और अपने लिखित निवेदन में भी अपने द्वारा कारित भ्रष्ट आचरण से संबंधित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अभ्याक्रमण करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने यह प्रतिवाद किया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भूल की है कि उन्होंने तारीख 12-11-1989 को इचापुरम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने मतदाताओं से धर्म के आधार पर अपील की थी । उनके अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में उल्लिखित अतिवर्ती पोस्टर याची द्वारा गढ़े गए हैं ।

6.1 आयोग की दृष्टि में आयोग इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को अनदेखा नहीं कर सकता जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने कर दी है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना होगी । मेरे विचार में यदि आयोग न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जी या निर्वाचन अपील पर दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्तियों को अनाधारिक रूप में अपने में निहित करता है तो यह देश में न्यायिक प्रणाली की विडंबना होगी । 1975 से जब 1951 के अधिनियम की धारा 8क द्वारा यह अधिकारिता आयोग में निहित की गई थी मेरे विचार में आयोग ने बार-बार बिल्कुल ठीक यही निर्णय लिया है कि न्यायालय का किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराए जाने का निर्णय आयोग पर आबद्धकर है । ऐसी कार्यवाहियों में न्यायालय के निर्णय से व्यथित व्यक्तियों को पुनर्विलोकन या पुनर्विचार के लिए कहीं और जाना चाहिए न कि आयोग में ।

6.2 प्रस्तुत कार्यवाहियों में आयोग को केवल दो प्रश्नों पर अपनी राय देने को कहा गया है अर्थात् :—

(i) क्या ऐसे व्यक्ति को निरर्हित किया जाए जिसको भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया गया है, और (ii) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ऐसी अवधि उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको न्यायालय का आदेश प्रवृत्त हो । अतः आयोग के कृत्य केवल कारित किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या ऐसी परिशमनकारी या कम करने वाली परिस्थितियां है जिससे कि नितांत रूप में या तो कोई निरर्हता अधिरोपित न करने को न्यायोचित ठहराया जा सके या विधि के अधीन विहित की गई अधिकतम छह वर्ष से कम अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित की जाने तक ही सीमित है ।

7. प्रस्तुत मामले में श्री कृष्णा राव द्वारा कारित भ्रष्ट आचरण, निर्वाचकों से मत प्राप्त करने के लिए की गई धर्म के आधार पर अपील है। ऐसी अपील करने से मतदाताओं की

धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं और उनके धार्मिक मनोभाव और भक्ति उत्तेजित होती है । धर्म के आधार ऐसी अपीलों से निर्वाचकों के शांत निर्णय युक्तिसंगत विचार और उचित बोध को विकृत करने की चेष्टा की जाती है और वे अभ्यर्थी को उसके गुणों के आधार पर मत न देकर उसकी विचारधारा को ध्यान में रखकर मत देते है । ऐसी अनिष्टकर प्रक्रियाएं बहुत भयानक है जो कि हमारी स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए ही खतरा हैं । इसमें दो राय नहीं है कि ऐसी घृणित प्रक्रियाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और पूरी शक्ति से इन्हें रोका जाना चाहिए ।

8. श्री कृष्णा राव ने निरर्हता अधिरोपित न करने के लिए आयोग से प्रार्थना की है । उसने अपने उपर्युक्त निवेदन के समर्थन में उसकेद्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए एक मुखा नेता के रूप में उन वर्गों के लिए की गई सेवा को लघुकारी परिस्थितियों के रूप में उल्लिखित किया है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र मे अपनी लोकप्रियता के आधार पर वर्ष 1983, 1985 और पुन: 1989 में निर्वाचनों में विजय प्राप्त की है और मत प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके अपनाने का विचार कभी उनके मस्तिष्क में नहीं आया था ।

9. मुझे 1983 और 1985 में उसके निर्वाचनों के बारे में कुछ नही कहना है किन्तु जहां तक 1989 में उसके निर्वाचन का संबंध है उसकेद्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने से निर्वाचन का भ्रष्ट हो जाना अभिनिर्धारित हुआ है । न्यायालय भ्रष्ट आचरणों के संबंध में सबूत के कठोरतम मानकों का प्रयोग करते हैं और उन्हें आपराधिक आरोप के समान माना जाता है और उन्हें संदेह से परे साबित करना होता है और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने सबूत के उन कठोर मानकों को लागू करने के पश्चात् उसे भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है । अत: उसे इस दलील से कोई लाभ नहीं है कि मत प्राप्त करने के लिए विधि-विरुद्ध तरीकों की बात तो कभी भी उसके मन में नहीं आई थी । अत: मैं उसके पक्ष में परिशमनकारी या न्यूनीकरण करने वाली किन्हीं परिस्थितियों को नहीं पाता हूं । मेरी राय में यदि वर्तमान प्रकृति के किसी मामले में किसी प्रकार की उदारता बरती जाती है तो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया धार्मिक कट्टर पंथियों के हाथ का खिलौना बन सकती है । ऐसे अत्यंत आक्षेपणीय कार्यकलापों में लिप्त व्यक्तियों के प्रति विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम दंड दिया जाना आवश्यक है क्योंकि उनके प्रति बरती गई किसी प्रकार की उदारता उन्हीं भ्रष्ट आचरणों में समझौता मानी जाएगी जो निर्वाचनों की पवित्रता को दूषित करते हैं ।

10. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री एम.वी. कृष्णा राव को उपर्युक्त भ्रष्ट आचरण करने के कारण निरर्हित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उनकी निरर्हता उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से अर्थात् 17-3-1993 से छह वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए चालू रहनी चाहिए जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) परन्तुक के अधीन उपबंधित है ।

11. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश उपर्युक्त आशय की मेरी राय के साथ इसके द्वारा वापस किया जाता है ।

(टी.एन. शेषन)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1993

भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[फा.सं. 7/35/93–वि. II]

के.एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1993

S.O. 597(E).—The following Order made by the President is published for general information : –

ORDER

Whereas the election of Shri M. V. Krishna Rao (hereinafter referred to as the "returned candidate"), from 1-Ichapuram Assembly Constituency in the State of Andhra Pradesh at the General Election to the Legislative Assembly of Andhra Pradesh held in November, 1989, was set aside by the Andhra Pradesh High Court on 3-9-1991 on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice specified in clause (3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act");

Whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's order on 22-10-91;

And whereas the Supreme Court subsequently dismissed the appeal on 17-3-1993 and also vacated its stay order dated 22-10-1991;

And whereas the case of the returned candidate was submitted by the Secretary, Andhra Pradesh Legislative Assembly to the President on 16-4-1993 in terms of sub-section (1) of section 8A of the said Act;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act, on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and, if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above, for a period of six years to be reckoned from 17-3-1993, i.e., the date of the order of the Supreme Court;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of Section 8A of the said Act, do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 17-3-1993.

S. D. SHARMA,
PRESIDENT OF INDIA

Rashtrapati Bhawan,

New Delhi,

Dated : 5th August, 1993.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

REFERENCE CASE NO. 1(RPA) OF 1993

[Reference from the President of India under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

In Re : Disqualification of Shri M. V. Krishna Rao former member of Andhra Pradesh Legislative Assembly.

OPINION

1. This is a reference from the President of India under sub section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the '1951-Act') seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri M. V. Krishna Rao, former member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State and, if so, for what period.

2. The relevant facts of the case are briefly as under :—

(i) Shri M. V. Krishna Rao was declared elected to the Andhra Pradesh Legislative Assembly at the general election held from 1-Ichapuram Assembly Constituency in November, 1989.

(ii) His election was challenged by a rival contesting candidate Shri Buddala Trinath Reddy before the High Court of Judicature for Andhra Pradesh at Hyderabad by Election Petition No. 19 of 1990. It was alleged in the election petition that Shri Krishna Rao had commited corrupt practice under section 123(3) of the 1951-Act.

(iii) The Andhra Pradesh High Court, by its judgment and order dated 3-9-1991, found Shri Krishna Rao guilty of corrupt practice under the said section 123(3) of the 1951-Act. The relevant observations and findings of the High Court are reproduced below:

"Issue No. 2

* * * * * * * *

From the way in which N. T. Rama Rao is shown in the poster in this case in the role of Lord Sri Krishna blowing the conch with the Sanskrit Sloka from the Bhagvat Gita. It is quite evident that this poster is a religious symbol and is intended to appeal to the voters of Ichapuram constituency 90 per cent of whom are Hindus, on the basis of religion. In contrast to this poster there is also another poster which can be seen in the photo Ex. A-26 showing Sri N. T. Rama Rao in his usual dress and appealing to the voters. This is unobjectionable and does not amount to any religious symbol. But the offending poster of which the photos Exs. A-1 to A-27 were taken is quite different and it is obviously intended to appeal in the religious sentiments of the Hindu voters because Sri N. T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam party is not shown in his usual dress, but is portrayed as Lord Sri Krishna blowing conch and with the sloka from Bhagvad Gita which tends to create an impression in the minds of voters that he is an Avatara of Lord exhorting the people to defeat the wicked Congress by voting for the Telugu Desam candidate.

* * * * * * * *

It is clearly established from the photos Exs. A-24 and A-25 that the respondent was found on the rostrum along with Sri N. T. Rama Rao and others on the public meeting held on 12-11-1989. The photos show that the two posters in question showing Sri N. T. Rama Rao in the role of Lord Sri Krishna were affixed to the rostrum. It is also established that the respondent made arrangements for the erection of the said rostrum. From these photos it is quite clear that the respondent made an appeal to the voters on the basis of religious symbol because the rostrum on which he had participated the public meeting alongwith Mr. N. T. Rama Rao and others contained two such posters which I have already held are religious symbols. Therefore, on this evidence itself it is established that the respondent committed the corrupt practice as envisaged under Section 123(3) of the Representation of the People Act.

* * * * * * * *

As I have stated above the evidence of P.Ws. 2 and 6 is to the effect that the respondent addressed the meeting saying that Sri N. T. Rama Rao is Avatar of Lord Sri Krishna, born in this age to save the people and so all Hindus must vote for Telugu Desam Party. P.Ws. 2 and 6 or other witnesses might not have exactly reproduced in their evidence what the respondent stated in the meeting and there may be a little exaggeration, but the gist of what they have stated

is that the respondent stated that Sri N. T. Rama Rao is Avatar of Lord Sri Krishna and that is also in consonance with the posters which were affixed to the rostrum which shows Sri N. T. Rama Rao in the role of Lord Sri Krishna blowing a conch with a Sanskrit Sloka. Therefore, I agree with the contention of the learned counsel for the petitioner that the respondent had also made appeal to the voters on the basis of religion.

So, it is established that the respondent has made an appeal to the voters by religion and also by using religious symbol which is a corrupt practice as defined in Section 123(3) of the Act. I, therefore, IInd issue No. 2 in favour of the petitioner.

* * * * * * * *

Issue No. 4

In view of my findings on Issue No. 2 that the respondent made an appeal to the voters on the basis of religion and also by using religious symbol and thereby committed corrupt practice as provided under Section 123(3) of the Representation of the People Act, the petition is allowed and the election of the respondent to the Andhra Pradesh Legislative Assembly from No. 1-Ichapuram Assembly constituency is declared as void and is set aside."

(iv) An appeal was filed by Shri Krishna Rao before the Supreme Court against the said judgment and order dated 3-9-1991 of the Andhra Pradesh High Court bearing Civil Appeal No. 3718 of 1991. By an interim order dated 22-10-1991, the Supreme Court stayed the operation of the impugned judgment and order of the Andhra Pradesh High Court pending hearing and final disposal of the appeal.

(v) On 17-3-1993, the Supreme Court dismissed the appeal of Shri Krishna Rao and also vocated its stay order dated 22-10-1991. While dismissing the said appeal, the Supreme Court confirmed the findings of the High Court relating to the commission of corrupt practice by Shri Krishna Rao under section 123(3) of the 1951 Act. The Supreme Court obsedved :

"..... In addition to that there is the evidence of the fact that posters were prepared and distributed showing the Telugu Desam Party leader N.T. Rama Rao attired as Lord Krishna blowing a conch with a Shloka from the Bhagwad Gita to the effect that the Lord Krishna will be born 'yuga yuga' to restore Dharma. At the bottom of the poster there is a caption in Telugu exhorting the people to defeat the deceitful Congress which has sold the country. These posters belonging to the Telugu Desam Party are also to be found Ex. A-24, although the writing in Telugu which we find in the enlarged posters, is not discernible. It must be appreciated that these posters of the party leader attired as Lord Krishna were intended to convey a definite message. If religion was not intended to be used for the purpose of capturing votes, it is difficult to see why a leader of a political party should be shown attired as Lord Krishna blowing a conch at an election meeting. The existence of such posters lends credence to the evidence tendered through PWs 2, 4 and 6. Therefore, besides the fact that PW 6 is an independent witness who has no reason to take sides his evidence finds support from the message intended to be conveyed through such posters. What that message is, is clear from the testimony if these three witnesses. The learned Trial Judge, who had the benefit of recording evidence of these witnesses and seeing their demeanour has for reasons stated, accepted their evidence and we see no serious infirmity in the appreciation of their evidence by the learned Judge. Their evidence clearly is that the appellant who addressed the gathering mostly of Hindus said that they were all Hindus and worshippers of Lord Krishna whose Avatar Rama Rao was and a vote for the Telugu Desam Party would bring prosperity. Thus the appeal was to the religious sentiments of the Hindus. This was buttressed by the posters showing the party leader as an Avatar of Lord Krishna. The purpose of such posters was obviously to gain votes by arousing the religious sentiments of the people. Why else should a leader of a political party indulge in such gimmickry because admittedly it is not out of any of his movies. Such appeals to the religious sentiments of the people if allowed would destroy the purity of elections ..... We are, therefore, of the view that the allegation made by the respondent-petitioner that the appellant-respondent had addressed the meeting at which he exhorted the voters in the name of religion to vote for him is rightly accepted by the learned Trial Judge. It is also difficult for use to believe, as was submitted by the learned Senior Counsel, that there was no reliable evidence to show that the appellant had addressed the meeting and introduced the party leader as an incarnation of Lord Krishna. It would sound unnatural that the respondent would not address the meeting arranged for canvassing voters for him and would not introduce the party leader in glowing terms.

On an overall view of the matter, we think that the decision of the learned Trial Judge on Issue No. 2 is correct and does not demand interference in appeal. The appeal is dismissed with costs. The interim order will stand vacated."

(vi) On 16-4-1993, the Secretary, Andhra Pradesh Legislative Assembly submitted the case of Shri Shri Krishna Rao to the President in terms of subsection (1) of section 8A for determination of the question as to whether Shri Krishna Rao should be disqualified, and if so, for what period.

(vii) In pursuance of provisions of sub-section (3) of the said section 8A, the President has made the present reference to the Commission for its opinion on 27-4-1993.

3.1 Before tendering opinion to the President, the Commission decided to afford Shri Krishna Rao an opportunity of being heard and fixed a hearing for the purpose on 17-6-1993. Shri Krishna Rao was informed about the said hearing on 19-5-1993 by a registered AD post as well as ordinary post.

3.2 Shri Krishna Rao did not appear before the Commission on 17-6-1993 nor was anything heard from him. In order to provide him every reasonable opportunity of presenting his case, the Commission decided to give him yet another opportunity of being heard on 16-7-1993.

4.1 Shri Krishna Rao was duly heard by the Commission on 16-7-1993. Prior thereto, he also filed on 12-7-1993 a written statement through his advocate Shri Chava Badri Nath Babu.

4.2 At the hearing held on 16-7-1993, Shri Krishna Rao made his submissions in person. His learned Counsel turned up late at the hearing and when asked by the Commission as to whether Shri Krishna Rao would like his learned counsel to take up further submissions, Shri Krishna Rao preferred to make his submissions himself.

5. In his oral submissions, as also in his written submission, Shri Krishna Rao attempted it assail the findings of the Andhra Pradesh High Court and the Supreme Court relating to the commission of corrupt practice by him. He contended that the High Court and the Supreme Court had erred in coming to the conclusion that he addressed a public meeting at Ichapuram on 12-11-1989 in which he made appeal to voters on the ground of religion. According to him, the offending posters mentioned in the judgments of the High Court and the Supreme Court were fabricated by the petitioner.

6.1 In the Commission's view, the Commission cannot go behind the finding of the Andhra Pradesh High Court which have been confirmed by the Supreme Court in the present case as that would amount to sitting in judgement over the findings of the apex -court. In my view, it would be a travesty of the judicial system in the country if the Commission were to arrogate to itself the powers of review of the findings of the courts in the election petition and the election appeal. Right since 1975, when the present jurisdiction aws vested in the Commission by section 8A of the 1951-Act, the Commission has consistently taken the view, and, in my opinion, rightly so, that the findings of the courts holding a person guilty of commission of corrupt practice are binding on the Commission. Persons aggrieved by such findings have to seek their remedies of review or reconsideration elsewhere and not before the Commission in the present proceedings.

6.2 In the present proceedings, the Commission is therefore called upon to tender its opinion only on two questions, namely:—

(i) whether the person found guilty of commission of corrupt practice should be disqualified; and

(ii) if so, for what period, such period not exceeding six years from the date on which the order by the courts in relation to him takes effect. The Commission has, therefore, only a limited function of looking into the nature and gravity of the corrupt practice committed and whether there is any extenuating or mitigating circumstance which may justify either the imposition of no disqualification at all, as one extreme, or the imposi ion of a lesser period of disqualification than for the maximum period of six years prescribed under the law.

7. The corrupt practice committed by Shri Krishna Rao in the present case is an appeal to the electorate on the ground of religion to vote for him. In making such appeal the religious sentiments of the voters were sought to be touched and their religious passions and fervours aroused. Such appeals on the ground of religion tend to blur the dispassionate judgement, rational thinking and right perceptions of the electors and they are motivated to vote for a candidate on considerations other than his merit. Such pernicious practices are highly dangerous and can threaten the very survival of our democracy. There cannot be two opinions that such nefarious practices must be viewed with utmost serious concern and put down with heavy hands.

8. Shri Krishna Rao urged the Commission not to impose the disqualification. He cited the services rendered by him to the backward classes of the State as a young leader belonging to those communities as an extenuating circumstance in support of his above submission. He also stated that he had won the elections in 1983, 1985 and again in 1989 by reason of his own popularity in the constituency and the idea of unlawful methods to gain votes had never even crossed his mind.

9. I have nothing to say with regard to his elections in 1983 and 1985, but in so far as his election in 1989 is concerned, it has been held to have been tainted by commission of corrupt practice by him. The courts apply the strictest standards of proof in relation to corrupt practices which are treated like criminal charges and have to be proved beyond doubt. And both the Andhra Pradesh High Court and the Supreme Court have found him guilty of the commission of corrupt practice after applying those strict standards of proof. Therefore, it is of no avail to him in contend that the idea of unlawful methods to gain votes never even crossed his mind. I thus do not see any extenuating or mitigating circumstances in his favour. In my opinin, the whole electoral process may be rendered a plaything in the hands of religious bigots if any mercy of leniency is shown in a matter

of the prestnt nature. Persons indulging in such highly objectionable activities must be visited with the severest penalty permissible under the law as any leniency shown to them whould be tantamount to compromising with those very corrupt practices which sully the purity of elections.

10. Having regard to the above, I am of the opinion, and accordingly hold, that Shri M. V. Krishna Rao should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above. Further, his disqualification should run for the maximum period of six years from the date of the order of the Supreme Court, namely, 17-3-1993, as provided under the proviso to sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

11. The reference received from the President is hereby returned with my opinion to the above effect.

(Sd.|-)

(T. N. SESHAN)

Chief Election Commissioner of India

New Delhi,

Dated : 18th July, 1993

[F. No. 7(35)|93-Leg. II]

K. L. MOHANPURIA, Secy.

1748 GI|93—2.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054. 1993